न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 33/2019

अपीलांट्स – *बनाम*

1. सुका पुत्री आसूराम उर्फ आसिया पत्नी चम्पालाल जाति भाट निवासी चान्दणा भाखर राजीव गांधी कॉलोनी, 16 नंबर टैक्सी स्टैण्ड, गली नंबर 5 सोमानी कॉलेज रोड, जोधपुर
2. बलिया पुत्री आसूराम उर्फ आसिया पत्नी शक्तिदान जाति राजपूत (भाट) निवासी इन्द्रा कॉलोनी माण्डलवा तहसील जालोर जिला जालोर
3. मोना पुत्री आसूराम उर्फ आसिया पत्नी सोनाराम जाति भाट निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स–

1. तहसीलदार पचपदरा
2. मथरादेवी पत्नी आसूराम उर्फ आसिया जाति भाट निवासी कीटनोद तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. कमला पुत्री आसूराम उर्फ आसिया पत्नी शिवलाल फौत के कायम मुकाम –
   3/1 मूलाराम पुत्र शिवलाल
   3/2 ताराराम पुत्र शिवलाल
   3/3 मंजू पुत्री शिवलाल
   जाति भाट निवासी कीटनोद तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4. रतनलाल पुत्र उदाराम
5. चम्पालाल पुत्र उदाराम
6. अर्जुन कुमार पुत्र उदाराम
7. मेथी पत्नी उदाराम
8. पुखदान पुत्र शंकर जाति भाट निवासी कीटनोद तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
9. भीखीदेवी पत्नी मोटाराम जाति मेघवाल निवासी कीटनोद तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 824 दिनांक 17.06.1992 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पूंजराज बामणिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट 9 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफार्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 15.11.2022

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम कीटनोद तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण संख्या 824 पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित स्वीकृति दिनांक 17.06.1992 के विरूद्ध दिनांक 18.07.2019 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कीटनोद तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 599 एवं 462 रकबा क्रमशः 21–17 बीघा एवं 11–19 बीघा कुल रकबा 33–16 बीघा भूमि शंकर, आसीया, उदा पि0 हुकमा कौम भाट सा0 देह खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह खातेदार आसीया जो कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 3 का पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का पति था की फौतगी पर हलका पटवारी कीटनोद द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 824 दिनांक 17.06.1992 दायर कर तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.07.2019 को प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।
3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा कीटनोद तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 599 एवं 462 रकबा क्रमशः 21–17 बीघा एवं 11–19 बीघा कुल रकबा 33–16 बीघा भूमि शंकर, आसीया, उदा पि0 हुकमा कौम भाट सा0 देह खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। सह खातेदार आसीया जो कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 3 का पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का पति था की फौतगी पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 824 दायर कर दिनांक 17.06.1992 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण पारित करने में रेस्पोडेंट संख्या 2 ने हल्का पटवारी, आर.आई. व रेस्पोडेंट संख्या 1 से मिलकर मृतक आसिया उर्फ आसू के वारिस के रूप में केवल रेस्पोडेंट संख्या 2 को बताते हुए उसी के नाम से पारित करवा लिया गया। मृतक आसिया अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 का पिता था इसके बावजूद अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 को अपीलाधीन नामान्तरकरण में आसिया उर्फ आसू के विधिक उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट्स ग्रामीण महिलाएं होने से उस समय उन्हें अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व न तो आसिया के वारिसों की कोई जांच की गई और न ही अपीलांट्स को कोई नोटिस दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन खसरों की भूमि का मौका निरीक्षण किये बिना ही अपीलांट्स को सुनवाई को कोई अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं उसके पारित होने के बाद वादग्रस्त भूमि में हुए इन्द्राज निरस्त फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर एवं नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट्स ग्रामीण व अनपढ़ महिलाएं होने से उन्हें इस विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी उस समय नहीं हो सकी। अर्सा 20 दिन पूर्व जब अपीलांट संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु हलका पटवारी से वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तब ही अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण में उनके नाम नहीं होने के तथ्य की जानकारी सर्वप्रथम हुई। इस पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकलें प्राप्त होने पर दिनांक 15.07.2019 को ही अपील[illegible] अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस पर उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर सम्यक तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन भी किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1992 में पारित होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील करीब 27 वर्ष की लम्बी समयावधि पश्चात प्रस्तुत की गई है जो न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तों के अनुसार कोई पक्षकार मयाद के भीतर अगर आवेदन दायर नहीं करता है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ देने से पूर्व न्यायालय को पक्षकार द्वारा विलम्ब के ठोस कारण प्रस्तुत करते हुए समाधान कराना अतिआवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा 27 वर्ष के विलम्ब का कोई तर्क संगत कारण प्रकट नहीं किया है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा कीटनोद तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 599 एवं 462 रकबा क्रमशः 21–17 बीघा एवं 11–19 बीघा कुल रकबा 33–16 बीघा भूमि शंकर, आसीया, उदा पि० हुकमा कौम भाट सा० देह खातेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह खातेदार आसीया की फौतगी पर हलका पटवारी कीटनोद द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 824 दिनांक 17.06.1992 दायर कर तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.07.2019 को प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबध में अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांट्स ग्रामीण महिलाएं हैं इसलिये अपीलांट्स को पारित नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स की ओर से यह अपील करीब 27 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस एवं तर्कसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया है जबकि परिसीमा विधि के अनुसार विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट्स के अधिवक्ता की ओर से प्रकट किया गया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिये जानकारी नहीं हुई, यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested